



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-19052022-235886
CG-UP-E-19052022-235886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2195]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2022/वैशाख 29, 1944

No. 2195]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2022/VAISAKHA 29, 1944

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 12 मई, 2022

का. आ. 2315(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित निम्नांकित परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघराज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1,	प्रयागराज – पं. दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 किमी)	उत्तर प्रदेश

[ई.फा. सं. एन.सीआर.-एच.क्यू.शून्य. सी.ई.एन.जी. (पी. एच. 15)/5/2021-ओ/ओ डिप्टी. सी.ई./सी./इला.
(कम्प्यूटर सं. 51223) दिनांक : 24.11.2021]

शरद मेहता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Central Railway (Construction Department)]****NOTIFICATION**

Prayagraj, the 12th May, 2022

S.O. 2315(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the table, with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

TABLE**Special Railway Project**

S. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Prayagraj-Pt. Deendayal Upadhyay 3rd line doubling Railway project (150 km)	Uttar Pradesh

[e-F. No. NCR-HQ0CENG(PH 15)5/2021-O/O DY CE/C/ALD (Computer No. 51223) Date : 24.11.2021]

SHARAD MEHTA, Chief Administrative Officer (Cons.)